न्याय आपके द्वार अभियान - 2017

27.6.17

पत्रावली कैम्प कोर्ट जोबपुरी में पेश हुयी।
प्रार्थी ने उक्त प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि
ग्राम केलवा के बींजा खसरा नम्बर 945 रकबा
0-10-0 की आराजी प्रार्थी ने राजू पुत्र भंवर
सिंह से क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया
था तथा कृषि दिनांक 9.7.02 से प्रार्थी उक्त आराजी
पर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु हाल खाते
1583/2112 रकबा 0.11 प्रार्थी के नाम दर्ज करने
के बजाय त्रुटिवश सेठ विमला के नाम व तत्पश्चात
अप्रार्थी 1 से 7 के नाम दर्ज कर दी जिस कारण
अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे है
व अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है
अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया बींजा
ख. नं. 945 का कुल रकबा 0.1470 है जो
राजू व नानू पि. भंवर ~~[illegible]~~ के नाम दिनांक
26.8.98 नामा. सं. 85 द्वारा निस्तारित हुयी थी
राजू पि. भंवर ने पश्चात पंजीकृत विक्रय पत्र
प्रार्थी को दिनांक 9.7.02 को बेचान कर दी थी
ख. नं. 945 के विक्रय पत्र में नक्शे की तस्दीक
से ज्ञात होता है कि बेचान का जो अंकन है जबकि
राजू को नक्शे की तस्दीक के हिसाब नहीं मिला है।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : जोबपुरी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील नें जारी हुए

ख० नं 945 के हाल ख० नं ~~1583~~ 1583/2772 रकबा 0.11 राज० मानू पि० मांगू के नाम दर्ज की जो मृतक विरासतन अंगालीराम के नाम दर्ज हो गयी है इस आराजी पे प्रार्थी नारू के हिस्से की आराजी पर कोई हक व अधिकार नही रखता है। नारू के हिस्से की आराजी पर प्रथम प्रथम दृष्टया वादी प्रार्थी सिद्ध होता है। तदनुसार सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति की संभावना भी वादी प्रार्थी सिद्ध होती है शेष तथ्य मूल वाद के दौरान साक्ष्य से सिद्ध होगा।

उपरोक्तानुसार ग्राम बनेडा के हाल ख० नं 1583/2772 रकबा 0.11 की आराजी पर ~~प्रार्थी~~ प्रार्थी का प्रार्थना "स्वीकार" किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 को पाबन्द अस्थायी निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली सम्बन्धित स्थायी वाद कोर्ट पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से खारिज हो व दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ......